हमने इसकी उपयोगिता और आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। यदि आप उपलब्धता संबंधी समस्याओं का अनुभव करते हैं, तो कृपया संपर्क करें engagement@ndiscommission.gov.au.

SAFEGuard Quarterly Newsletter

अंक 6: पतझड़ 2022

विकलांग लोगों के लिए एक समाचार पत्र,आपके मित्र, परिवार, अधिवक्ता और समुदाय।

यदि आप एक एन डी आई एस प्रदाता या कार्यकर्ता हैं, जो विकलांग व्यक्ति की सहायता करता है, या एक वकील, अभिभावक, दोस्त या विकलांगता वाले किसी व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य हैं तो कृपया इस समाचार पत्र को उनके साथ साझा करें।

एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग की नई आयुक्त - ट्रेसी मैके का संदेश –

हमारे एन डी आई एस प्रतिभागी न्यूज़लेटर, सेफगार्ड के इस वर्ष के पहले संस्करण में आपका स्वागत है। मैं इस अवसर का उपयोग करने के लिए नए एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा आयुक्त के रूप में अपना परिचय देने और एन डी आई एस आयोग के लिए मेरी प्राथमिकताओं के साथ-साथ हाल के महीनों में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ।

जब से मैंने जनवरी में आयुक्त का काम शुरू किया है, मैं एन डी आई एस आयोग के साथ आपके अनुभव की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया में प्रतिभागियों और प्रदाताओं के साथ नियमित रूप से मिलती रही हूँ, जिससे पता लगे कि एन डी आई एस आयोग किन बातों पर ध्यान केंद्रित करे और गुणवत्ता और सुरक्षित सेवाओं का आपके लिए क्या मतलब है।

इस समय मेरे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता एन डी आई एस आयोग के लिए फ्यूचर स्टेट के काम का नेतृत्व करना है जिसके अंतर्गत पांच साल की रणनीतिक योजना बनाना है, जो हमारे निर्णय लेने सहित हमारे सभी कार्यों के केंद्र में विकलांग लोगों को रखता है। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करें, और उपभोक्ताओं के रूप में आपके व्यक्तिगत अधिकारों का विस्तार, बचाव और समर्थन करें। मैंने इन लक्ष्यों की दिशा में पहले ही काम शुरू कर दिया है

- एन डी आई एस प्रतिभागियों, परिवारों, अधिवक्ताओं और प्रदाताओं के साथ-साथ एन डी आई एस आयोग के कर्मचारियों सहित 240 से अधिक बाहरी हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- विकलांग लोगों, उनके समर्थन नेटवर्क, अधिवक्ताओं और प्रदाताओं के लिए एक प्रदाता पंजीकरण गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करना। आप हमारी वेबसाइट पर गोलमेज चर्चा स्टार्टर पेपर पढ़ सकते हैं।
- NDIS आयोग के कार्य के भविष्य के बारे में बात करने के लिए हमारी परामर्शदात्री समितियों के साथ बैठक और वार्ता करना कि हम विकलांग लोगों के जीवन में कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

आने वाले महीनों में, हम इस महत्वपूर्ण कार्य पर स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करना जारी रखेंगे।

हम आपको इस बारे में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देने के लिए भी बहुत सारे अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि हम आपकी सर्वोत्तम सहायता कैसे कर सकते हैं। एक क्षेत्र जिस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं वह है हमारी नई वेबसाइट, और आप इस न्यूज़लेटर में इसके बारे में अधिक जान सकते हैं।

इस अंक में, मुझे नई मेक इट नोन मेक इट बेटर (लोगों को बताओ, बेहतर बनाओ) वीडियो सीरीज़ लॉन्च करते हुए बेहद गर्व हो रहा है, ताकि आप उन समर्थनों और सेवाओं तक पहुंच सकें, जिनके आप हकदार हैं। प्रत्येक वीडियो परिदृश्य को विकलांग लोगों के साथ डिज़ाइन किया गया है और यह एन डी आई एस आचार संहिता से संबंधित सेवा के उदाहरण पर आधारित है।

आप इस न्यूज़लेटर में वीडियो के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक और लिंक्डइन चैनलों पर प्रतिभागियों और प्रदाताओं के साथ एन डी आई एस आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एन डी आई एस आचार संहिता - देखभाल और कौशल के साथ सुरक्षित और सक्षम तरीके से सहायता और सेवाएं प्रदान करें

SAFEGuard का प्रत्येक संस्करण NDIS आचार संहिता के एक भाग पर केंद्रित होता है - जिसमें नियमों का सेट होता है कि जब आपके प्रदाता और कर्मचारी आपका समर्थन कर रहे हों तो उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षित हैं।

इस संस्करण में, हम तीसरे नियम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो बताता है कि आपके प्रदाताओं को आपको उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी आपकी सहायता कर रहे हैं, उनके पास उस सहायता को प्रदान करने के लिए सही कौशल और अनुभव होना चाहिए, और ऐसा सुरक्षित तरीके से करना चाहिए।

कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में अपने कौशल और ज्ञान को बनाए रखें और यदि ऐसा कुछ है जो वे करना नहीं जानते तो उन्हें

आपको बताना चाहिए। कार्यकर्ताओं को आपको ऐसी सेवा देने के लिए नहीं कहा जा सकता, जिसे करने का उनके पास सही कौशल और अनुभव नहीं है।

जब कर्मचारी आपको सेवाएं दे रहे हों तो उनको एन डी आई एस आचार संहिता का पालन करना चाहिए। कुछ कार्यकर्ताओं को अपने पेशे के लिए एक आचार संहिता NDIS Code of Conduct का भी पालन करना पड़ सकता है, जैसे कि नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगर किसी कार्यकर्ता ने आचार संहिता Code of Conduct का पालन नहीं किया है, तो हम जांच कर सकते हैं।

अपने कर्मचारियों को काम, स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों का भी पालन करना चाहिए जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए हैं, और जो लोग उनकी गतिविधियों से प्रभावित हैं, जिनमें NDIS प्रतिभागी भी शामिल हैं। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को दंड का सामना करना पड़ सकता है। सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया Safe Work Australia के पास इन कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के बारे में अधिक जानकारी है जो आपके निवास स्थान पर लागू होते हैं।

आपके सहायता कर्मचारी को आपको उस स्थिति में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जब वे ड्रग्स या अल्कोहल से प्रभावित हों। यदि वे डॉक्टर द्वारा लिखी गई विशेष दवाएं या काउंटर पर मिलने वाली दवाएं ले रहे हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों (हेल्थ केयर वर्कर्स) या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि इन दवाओं को लेने से उनकी सहायता देने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी।

सहायता कर्मचारियों को आपको प्रदान की जा रही सेवाओं का रिकॉर्ड रखने के नियमों का भी पालन करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपके भविष्य के सहायता कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के पास आपकी सहायता सेवाओं को जारी रखने के लिए पर्याप्त जानकारी है। ये रिकॉर्ड किसी कार्रवाई या घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके बनाए जाने चाहिए, और आपकी गोपनीयता की रक्षा के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिए। कर्मचारियों को इन अभिलेखों में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। रिकॉर्ड में आपकी सहायता सेवाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि आपकी दवा और आवश्यक सहायता का विवरण, किसी भी आरोप या घटना का विवरण, और कोई अन्य संबंधित मुद्दे।

अगर आपको लगता है कि कोई इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं complain to us।

मेक इट नोन मेक इट बेटर (लोगों को बताओ, बेहतर बनाओ)

सवाल या शिकायत करना महत्वपूर्ण है। यह एन डी आई एस प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं को यह समझने में मदद कर सकता है कि विकलांग लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और साथ ही यह सहायता और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करता है - इसलिए आपकी शिकायत अन्य लोगों की भी मदद कर सकती है। क्योंकि 'जब आप इसकी जानकारी देते हैं, तो आप इसे बेहतर बनाते हैं।'

अच्छी और सुरक्षित एन डी आई एस सेवाओं और सहायता को दिखाने के लिए हमने विकलांग लोगों को लेकर वीडियो की एक श्रृंखला तैयार की है

ये वीडियो एन डी आई एस आचार संहिता पर आधारित हैं, जिसका लक्ष्य है कि यदि एन डी आई एस प्रतिभागी या उनका सपोर्ट नेटवर्क एन डी आई एस सहायता या सेवा की गुणवत्ता या सुरक्षा से खुश नहीं हैं, तो उन्हें प्रश्न पूछने या शिकायत करने के लिए सशक्त बनाएं।

वीडियो को विकलांग लोगों के साथ मिलकर डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है और इसमें उनके परिवारों और एन डी आई एस प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं को दिखाया गया है । आप हमारी वेबसाइट पर श्रृंखला देख सकते हैं, या फेसबुक पर हमारा अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले हफ्तों में वीडियो प्रस्तुत करेंगे।

साइकोट्रोपिक दवाइयों के प्रयोग पर संयुक्त वक्तव्य

साइकोट्रोपिक दवाइयां हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती हैं। एन डी आई एस कमीशन, एज्ड केयर क्वालिटी और सेफ्टी कमीशन, और ऑस्ट्रेलियन कमीशन ऑन सेफ्टी और क्वालिटी इन हेल्थ केयर ने साथ मिलकर विकलांग और वृद्ध लोगों के बीच साइकोट्रोपिक दवाओं के अनुचित उपयोग को कम करने के लिए सहयोगी कार्रवाई की है।

साइकोट्रोपिक दवाओं के अनुचित उपयोग के बारे में एक वीडियो और इज़ी रीड जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इंटेग्रिटी केयर (ईमानदारी से की गई देखभाल) के विरुद्ध सिविल कानूनी कार्रवाई

एन डी आई एस कमीशन ने सुश्री एन-मैरी स्मिथ की मृत्यु के संबंध में इंटीग्रिटी केयर के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय में सिविल दंड की कार्यवाही शुरू की है।

सुश्री स्मिथ, जो एक एन डी आई एस प्रतिभागी थीं, की 6 अप्रैल, 2020 को इंटेग्रिटी केयर से सहायता और सेवाएं प्राप्त करने के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले की एन डी आई एस आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है। सुश्री स्मिथ की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद, एन डी आई एस आयोग ने इंटीग्रिटी केयर पर जुर्माना लगाया और इसके पंजीकरण को रद्द कर दिया, जिसका अर्थ है कि यह एन डी आई एस में काम नहीं कर सकता है। एन डी आई एस आयोग ने सुश्री स्मिथ की सहायक कार्यकर्ता सुश्री रोजा माईओन के साथ, निदेशक सुश्री एमी कॉलिन्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

आप इस मामले के बारे में हमारी वेबसाइट पर अधिक पढ़ सकते हैं जिसका एक इज़ी रीड संस्करण भी है।

सुरक्षित और आनंददायक भोजन का समर्थन करने के लिए नए संसाधन

भोजन खाना हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुरक्षित और आनंददायक भोजन प्राप्त करना आपकी भलाई के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है जिससे खाना गले में न फंसे और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो।

एन डी आई एस आचार संहिता के तहत, एन डी आई एस कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षित और सक्षम तरीके से देखभाल और कौशल के साथ सहायता और सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। तो, अगर आपको भोजन निगलने में कठिनाई होती है, तो कार्यकर्ता भोजन के समय आपकी अच्छी तरह से सहायता कैसे कर सकते हैं?

एन डी आई एस कार्यकर्ताओं को यह समझने में मदद करने के लिए कि सुरक्षित और आनंददायक भोजन में अच्छी तरह से कैसे सहायता करें, हमने एन डी आई एस कार्यकर्ताओं के लिए एक नया ई-लर्निंग मॉड्यूल जारी किया है।

यह मॉड्यूल - एन डी आई एस प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से - भोजन की योजना का पालन करने के महत्व, निगलने में कठिनाई के संकेतों और लक्षणों को नोटिस करने, सही भोजन तैयार करने, और अच्छी तरह से बैठने में सहायता करने के तरीके और सहायक तकनीक या कटलरी जैसे उपकरण के उपयोग में सहायता पर दृष्टि डालता है।

मॉड्यूल मुफ़्त है और किसी को भी पूरा करने के लिए उपलब्ध है, और हमारी वेबसाइट पर है।

एन डी आई एस आयोग की वेबसाइट की नई डिज़ाइन

एन डी आई एस आयोग में, हम आपको आसानी से उपलब्ध, सार्थक जानकारी प्रदान करने, आपके लिए सही सहायता और सेवाओं से जुड़ने और ज़रूरत पड़ने पर चिंताएँ व्यक्त करने में आपकी सहायता करने के महत्व को समझते है।

हम अपनी जानकारी आप तक पहुँचाने में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले महीनों में हम अपनी वेबसाइट को फिर से डिज़ाइन और पुन: कॉन्फ़िगर करने के लिए एक परियोजना पर काम कर रहे हैं ताकि हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी को ढूंढना और समझना सबके लिएआसान हो सके।

हमने नई वेबसाइट विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर डिज़ाइन किया है, जिसमें विकलांग लोगों सहित विविध प्रकार प्रतिभागियों (स्टेक होल्डर्स) के साथ महत्वपूर्ण मात्रा में शोध और उपयोगकर्ता परीक्षण भी किये हैं। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने हितधारकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, साक्षात्कार आयोजित किए, सर्वेक्षण किए और अन्य परीक्षण किए।   अब हमारे पास अपनी नई वेबसाइट का परीक्षण या 'बीटा' संस्करण है।

आप हमारी परीक्षण साइट को ऑनलाइन online देख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप बीटा वेबसाइट पर उपलब्ध फीडबैक फॉर्म का उपयोग करके सुझाए गए सुधारों पर हमें अपनी प्रतिक्रिया दें।

हम कॉउंसिल फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आमने-सामने कार्यशालाएं चलाई जा सकें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को फीडबैक देने के लिए उचित अवसर मिलें।

कोविड-19 अपडेट

COVID-19 गाइड के लिए व्यक्ति-केंद्रित आपातकालीन तैयारी योजना

क्वींसलैंड सरकार, सिडनी विश्वविद्यालय और क्वींसलैंडर्स विद डिसेबिलिटी नेटवर्क ने विकलांग लोगों के लिए COVID-19 की तैयारी योजना के लिए एक अनुरूप मार्ग निर्देशिका for preparedness planning for COVID-19 विकसित की है।

मार्गनिर्देशिका (गाइड) आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रारूपों में COVID-19 के बारे में जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों के लिंक प्रदान करती है। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

- COVID-19 को समझनाऔर अपना बचाव कैसे करें
- योजना बनाना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान प्रबंधन कैसे करें
- यह जानना कि यदि आप या आपकी सहायता करने वाला कोई व्यक्ति COVID-19 के लक्षणों का अनुभव करता है तो क्या करना चाहिए।
- अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट website पर दी गई निर्देशिका (गाइड) का उपयोग करें।

COVID-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण

यह जानना महत्वपूर्ण है कि अगर आपको COVID-19 होने की सम्भावना है तो क्या करें। यदि आपको COVID-19 के लक्षण हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में रहे हैं हैं, जिसे COVID-19 है, या यदि आपको किसी स्वास्थ्य देखभाल कर्ता द्वारा सलाह दी गई है,तो आप परीक्षण करवा लें। रैपिड एंटीजन परीक्षण अब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, और जिनके पास कॉमनवेल्थ रियायत कार्ड है वे तीन महीने की अवधि में 10 मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की Department of Health वेबसाइट पर COVID-19 के परीक्षण के बारे में अधिक जानकारी है।

COVID-19 बूस्टर खुराक

COVID-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक कॉमनवेल्थ टीका प्रदाताओं के माध्यम से, या अन्य चैनलों जैसे जी पी, फार्मेसी, या राज्य या क्षेत्र टीकाकरण क्लिनिक के माध्यम से उपलब्ध हैं। बूस्टर के चार महीने बाद कुछ लोगों के लिए अब एक अतिरिक्त बूस्टर खुराक लेने का सुझाव दिया जाता है। इसमें वृद्ध देखभाल और विकलांगता देखभाल सुविधाओं के निवासी, स्वास्थ्य देखभाल और विकलांगता कार्यकर्ता, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग और अन्य कमज़ोर समूह शामिल हैं। बूस्टर खुराक के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग Department of Health की वेबसाइट देखें।

यदि आपको कोविड-19 बूस्टर खुराक बुक करने में सहायता की आवश्यकता है, या कोविड -19 के बारे में मुफ्त, तथ्य-जांच की गई जानकारी और सलाह की आवश्यकता है, तो डिसेबिलिटी गेटवे वेबसाइट Disability

Gateway पर जाएं या 1800 643 787 पर कॉल करें। डिसएबिलिटी गेटवे फोन लाइन सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक AEST उपलब्ध है।

जिन लोगों को अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जानकारी की आवश्यकता है, वे अनुवाद और दुभाषिया सेवा को 131 450 पर कॉल कर सकते हैं, और विकलांगता गेटवे से जुड़ने के लिए कह सकते हैं।

जो लोग बहरे हैं या सुनने या बोलने में अक्षम हैं, वे नेशनल रिले सर्विस को 1800 555 677 पर कॉल कर सकते हैं और डिसेबिलिटी गेटवे से कनेक्ट होने के लिए कह सकते हैं।

आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के लिए नए एन डी आई एस अभ्यास मानक और गुणवत्ता संकेतक

कोविड -19 या अन्य आपात स्थितियों जैसे व्यवधानों के दौरान एन डी आई एस सेवा प्रदाताओं को सेवाओं और सहायता उपलब्ध करते रहने के लिए एक नया NDIS अभ्यास मानक विकसित किया गया है। यह इन आयोजनों के दौरान आपके स्वास्थ्य, भलाई और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आप हमारी वेबसाइट website पर या इज़ी फैक्ट शीट easy read fact sheet में नए अभ्यास मानकों के बारे में पढ़ सकते हैं।

A new NDIS practice standard has been developed to help NDIS providers sustain the delivery of services and supports during disruptions such as COVID-19 or other emergencies. This will help ensure your health, wellbeing and safety during these events. You can read about the new practice standards on our website, or in the easy read fact sheet.

एन डी आई एस आयोग से संपर्क कैसे करें

आप हमें 1800 035 544 पर कॉल कर सकते हैं। यह लैंडलाइन से मुफ्त कॉल है। हमारा संपर्क केंद्र सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक 9.00am से 5.00pm (NT में 9.00 से 4.30 बजे) खुला रहता है।

वैकल्पिक रूप से, आप एक ईमेल contactcentre@ndiscommission.gov.au

शिकायत करने के तरीके

यदि आप हमसे शिकायत करना चाहें, तो आप निम्नलिखित में से कोई भी कार्य कर सकते हैं:

- कॉल: 1800 035 544 (लैंडलाइन से मुफ्त कॉल) या TTY 133 677 दुभाषियों की व्यवस्था की जा सकती है।
- राष्ट्रीय रिले सेवा का उपयोग करें और 1800 035 544 के लिए पूछें।
- एक ऑनलाइन शिकायत संपर्क फ़ॉर्म को पूरा करें।

हमारा अनुसरण करें

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ndiscommisson

Facebook: www.facebook.com/NDISCommission

इस न्यूज़लेटर की सदस्यता लें

यदि किसी ने आपको यह ईमेल भेजा है, लेकिन आप चाहेंगे कि हम इसे भविष्य में सीधे आपके पास भेजें, तो आप इसे भरकर सदस्यता ले सकते हैं subscription form.